- 1956 में, **PEPSU के राज्यों** का **पंजाब के साथ विलय कर दिया गया** , जो हालांकि, एक **त्रिभाषी राज्य** हीं रहा, जिसमें तीन भाषा (**पंजाबी, हिंदी और पहाड़ी**) बोलने वाले लोग थे।
- राज्य के पंजाबी भाषी हिस्से में, एक अलग पंजाबी सूबा (पंजाबी भाषी राज्य) स्थापित करने की जोरदार मांग उठी।
- मुद्दा **सांप्रदायिक तनाव** में बदल गया।
- अंत में, **1966** में, इंदिरा गांधी दो राज्यों **(पंजाबी और हिंदी भाषी राज्य पंजाब और हरियाणा)** में पंजाब के विभाजन के लिए सहमत हो गई। इसके अलावा, कांगड़ा का पहाड़ी भाषी जिला और होशियारपुर जिले का एक हिस्सा हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया।
- **चंडीगढ़** नवनिर्मित शहर और संयुक्त पंजाब की राजधानी थी, जिसे **केंद्र-शासित** प्रदेश बनाया गया और पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी के रूप में भी स्थापित किया गया।
- अतः, दस साल से अधिक के लंबे संघर्ष के बाद, भारत का भाषाई पुनर्गठन काफी हद तक पूरा हो गया, जिससे लोगों की अधिक राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हुई।
- राज्यों के पुनर्गठन के भाषाई आधार पर मूल्यांकन|
- 1956 से, विभिन्न घटनाएं राष्ट्र के प्रति वफादारी के पूरक के बजाय एक भाषा के प्रति वफादारी को स्पष्ट रूप से दिखाती है।
- भाषाई तर्ज पर राज्यों को पुनर्गठित करके, राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक बड़ी मश्किल को दूर किया, जिसके कारण पृथकतावादी प्रवृत्ति बढ़ सकती थी।
- राज्यों के भाषाई पुनर्गठन ने किसी भी तरह से संघ के संघीय ढांचे को प्रतिकूल रूप से प्रभावित या केंद्र को कमजोर नहीं किया है।
- नेतृत्व के पूर्व आरक्षण के बावजूद, पुनर्गठन ने भारत के राजनीतिक मानचित्र को तर्कसंगत रूप (इसकी एकता को ज्यादा कमजोर किए बिना) प्रदान किया।
- इसने कलह के प्रमुख स्रोत को खत्म कर दिया।
- इसने समरूप राजनीतिक इकाइयाँ बनाईं, जिन्हें एक माध्यम से प्रशासित किया जा सकता था, जिसे बहुसंख्यक आबादी समझती थी।
- यह विभाजनकारी बल होने के बजाय एक एकीकृत बल साबित हुआ है।

अल्पसंख्यक भाषाएँ और संबंधित मुद्दे:

- बड़ी संख्या में भाषाई अल्पसंख्यक, जो राज्य की मुख्य या आधिकारिक भाषा के अलावा अन्य भाषा बोलते हैं, भाषाई रूप से हमेशा से पुनर्गठित राज्यों में रहे ।
- कुल मिलाकर, भारत की **लगभग 18 प्रतिशत आबादी**, जहां वे रहते हैं, अपनी मातृभाषा के रूप में राज्यों की आधिकारिक भाषा नहीं बोलते है।
- इन राज्यों में इन अल्पसंख्यकों की स्थिति और अधिकारों से संबंधित निर्णय लेना एक महत्वपूर्ण कार्य था।
- दूसरी ओर, यह अनुचित व्यवहार के खिलाफ उनके संरक्षण की बात थी।
- दूसरी ओर, राज्य के प्रमुख भाषा समूह के साथ उनके एकीकरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता थी।
- एक भाषाई अल्पसंख्यक को यह विश्वास दिया जाना चाहिए कि उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और इसकी भाषा और संस्कृति की रक्षा और विकास किया जाएगा।
- साथ ही, बहुसंख्यकों को यह आश्वासन देना पड़ा कि भाषाई अल्पसंख्यक की जरूरतों को पूरा करने से अलगाववादी भावनाएँ उत्पन्न नहीं होंगी।

समाधान

- इस समस्या का समाधान करने के लिए संविधान के तहत कुछ **मौलिक अधिकारों** को भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान किया गया था।